



26

-1-

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर कैम्प

जबलपुर

अग - 1813 - I - 16

राजस्व पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक

/2016 जिला जबलपुर

A. 6.6.16
वर्ग 2
क्र. 54/1813

- 1- श्रीमती मालती बाई शर्मा पति
स्व. श्री राजकुमार शर्मा उम्र लगभग 56 वर्ष
- 2- श्री मनोज कुमार शर्मा पिता
स्व. श्री राजकुमार शर्मा उम्र लगभग 36 वर्ष
- 3- श्री मनीश कुमार शर्मा पिता
स्व. श्री राजकुमार शर्मा उम्र लगभग 31 वर्ष
- 4- श्रीमती अंजली शर्मा पति श्री रामकृष्ण शर्मा
पिता स्व. श्री राजकुमार शर्मा उम्र लगभग 39 वर्ष
सभी निवासी ग्राम राणा, पोस्ट सिहोरा तहसील लखनादोन
तहसील लखनदोन जिला सिवनी म0प्र0
- 5- श्रीमती अर्चना गोटिया (शर्मा) पति श्री शिरीष गोटिया शर्मा
उम्र लगभग 33 वर्ष निवासी आधारताल
जबलपुर म0प्र0

— आवेदकगण

विरुद्ध

म0प्र0 शासन

द्वारा जिलाध्यक्ष, सिवनी

— अनावेदक

Q. Chaturvedi
06.06.16

आवेदकगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष श्रीमान जिलाध्यक्ष महोदय, जिला सिवनी म0प्र0 द्वारा प्र0क्र0 6/अ-21/15-16 में पारित आदेश दिनांक 26-4-2016 से प्रताडित होकर यह निगरानी निम्न तथ्यों एवं आधारों पर प्रश्नाधीन संपत्ति/भूखंड के विक्रय की अनुमति/अनुज्ञा हेतु सादर प्रस्तुत की जा रही है :-

Handwritten signature



XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निग0 1813-एक/16

जिला - सिवनी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
7-6-16	<p>प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी कलेक्टर, सिवनी द्वारा प्रकरण क्रमांक 40/अ-21/15-16 में पारित आदेश दिनांक 26-4-16 के विरुद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2- आवेदकगण एवं अनावेदक शासन के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया। दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण आवेदकगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है। जिसमें आवेदकगण द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम लखनादौन प.ह.नं. लखनदौन रा.नि.मं. लखनादौन एवं जिला सिवनी स्थित भूमि सर्वे नं. 290/5 रकबा 0.0130 हेक्टर (1450 वर्गफुट) पर निर्मित भवन को विक्रय करने की अनुमति देने हेतु अनुरोध किया गया है। उक्त आवेदन कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, लखनादौन को जांच हेतु भेजा गया, जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने तहसीलदार, लखनादौन को भेजा। जिस पर से तहसीलदार द्वारा विधिवत जांच कर अनुमति हेतु अपना प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदकों के कथन लिये जाकर अपना प्रतिवेदन कलेक्टर को प्रेषित किया। कलेक्टर ने आलोच्य आदेश द्वारा आवेदक का आवेदन इस आधार पर निरस्त कर दिया कि आवेदिका के पति द्वारा कय की गई प्रहनाधीन भूमि का</p>	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पत्रकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>डायवर्सन आवासीय प्रयोजन हेतु 9 वर्ष पश्चात कराया गया है जो संहिता की धारा 165 (6डड) का उल्लंघन है। इस संबंध में आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया है कि बताया गया कि कलेक्टर का आदेश न्यायिक एवं विधिसम्मत नहीं है क्योंकि आवेदकों के पूर्वज द्वारा प्रश्नाधीन भूमि दिनांक 25-9-1987 को क्रय की गई थी और क्रय करने के 9 वर्ष उपरांत डायवर्सन हेतु आवेदन दिया गया जिस पर से अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 1-10-1996 को भूमि के व्यपवर्तन के आदेश दिए। व्यपवर्तन के आदेश प्राप्त होने के उपरांत आवेदकों द्वारा भवन निर्माण किया गया है। यदि व्यपवर्तन का आवेदन समयसीमा में नहीं था तो तत्समय अनुविभागीय अधिकारी को आवेदन निरस्त करना चाहिए था। व्यपवर्तन समयावधि में हुआ या नहीं, इसका इस प्रकरण से कोई संबंध नहीं है क्योंकि यह प्रकरण भूमि के विक्रय की अनुमति का है नाकि व्यपवर्तन का। संहिता की धारा 165 (6डड) व्यपवर्तन के संबंध में है नाकि भूमि विक्रय की अनुमति के संबंध में। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य को अनदेखा किया गया है। यह भी कहा गया कि आवेदकों द्वारा अपनी पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भवन विक्रय की अनुमति का आवेदन दिया है। आवेदकगण पृथक-2 स्थानों पर निवास करते हैं तथा गैर जनजाति के सदस्य हैं। उक्त तथ्यों को भी कलेक्टर ने अनदेखा किया है। उक्त आधारों पर आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रश्नाधीन भवन के विक्रय की अनुमति दिए जाने का अनुरोध किया गया है। आवेदक की ओर से प्रस्तुत आदेश पत्रिकाओं, तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के प्रतिवेदनों एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में यह स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भवन जिसके विक्रय की अनुमति चाही गई है वह भवन आवेदकों के पिता द्वारा क्रय की गई भूमि पर निर्मित किया गया है। प्रकरण में तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जो जांच प्रतिवेदन दिए गए हैं उसमें स्पष्ट किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि पर</p>	





XX IX(a)BR(H)-11


राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निग0 1813-एक/16

जिला - सिवनी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पत्रकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>कोई फलदार वृक्ष नहीं है तथा आवेदक के ऊपर कोई बकाया शेष नहीं है । वर्तमान में उक्त भूमि पर मकान बना हुआ है । आवेदकों द्वारा निजी आवश्यकताओं के कारण उक्त भवन के विक्रय की अनुमति चाही गई है तथा यह अंतरण 10 वर्ष की कालावधि के अवसान होने के बाद किया गया है । कलेक्टर के आदेश से स्पष्ट होता है कि उन्होंने उक्त तथ्यों को अनदेखा किया है । कलेक्टर द्वारा संहिता की धारा 165(6इड़) का उल्लेख करते हुए आवेदक का आवेदन निरस्त किया गया है, वह धारा इस प्रकरण में लागू नहीं होती है । अतः जिलाध्यक्ष द्वारा 10 वर्ष से कुछ माह पूर्व कराये गये भूमि के व्यपवर्तन का आधार लेकर आवेदन निरस्त करना इस प्रकरण में न्यायसंगत नहीं है । क्योंकि उक्त धारा व्यपवर्तन के संबंध में है नाकि भूमि विक्रय की अनुमति के संबंध में । वर्ष 1996 में अर्थात् लगभग 20 वर्ष पूर्व जब आवेदकगण के पति/पिता द्वारा वर्ष 1987 में क्रय की गई प्रश्नाधीन भूखंड का डायवर्सन कराते समय यदि उक्त अवधि 10 वर्ष से कुछ माह कम थी तो तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी द्वारा व्यपवर्तन के आदेश नहीं देना चाहिए था, उनकी त्रुटि के लिए आवेदकगण के आवेदन को निरस्त करना ना तो औचित्यपूर्ण है और ना ही न्यायिक । अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में कलेक्टर, सिवनी का जो आदेश है वह स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । अतः उक्त आदेश इसी स्तर पर निरस्त किया जाता है तथा आवेदकगण को उनके भूमिस्वामित्व की ग्राम लखनादौन प.ह.नं. लखनादौन रा. नि. मं. लखनादौन जिला सिवनी स्थित प्रश्नाधीन भूमि</p>	





निगर 1813. 5/16 (जयपुर)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अधिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>सर्वे नं. 290/5 रकबा 0.0130 हेक्टर (1450 वर्गफुट) पर निर्मित भवन को विक्रय करने की अनुमति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-</p> <ol style="list-style-type: none">1- यदि प्रस्तावित केता वर्तमान चालू वर्ष की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो ।2- केता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि आवेदकगण के खाते में जमा की जायेगी ।3- भूमि के विक्रयपत्र का पंजीयन इस आदेश के दिनांक से 4 माह की समयावधि में निष्पादित कराना अनिवार्य होगा । <p>पक्षकार सूचित हों ।</p>	<p>(एम०के० सिंह) सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर</p>

File